FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [stamp] मुकाम ....

भेराराम .... बनाम प्रभुजाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 210 915 .... नं. 70/2020 .... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/06/2020	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 88, 188 RTAct राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/06/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) [stamp]	
23/06/2020	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजूद तामील अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई प्रतिवादीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते वादी साक्ष्य पत्रावली दिनांक 25/08/2020 को पेश हो। [signature] // सहायक कलक्टर (SDO) [stamp]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 19:08:28 IST
Reason: SelfAttested

25/08/2020

वादी वकील उपस्थित। वादी वकील उप० वादी साक्ष्य के रूप में वादी वादी वकील द्वारा स्वयं PW-1- जेठाराम पुत्र झुंझाराम जाति-जाट निवासी- रूपाणियों का तला, भीमड़ा तहसील-बायतु व PW-2- देवीलाल पुत्र रावताराम जाति-मेघवाल निवासी- भीमड़ा तह०-बायतु के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा साथ ही वादी वकील द्वारा दस्तावेजों की सूचि नकल प्रथम खतौनी मौजा-भीमड़ा खाता नं०-1-23 ख० नं०- ४००, ४१०, ४०६ तथा नकल चालू जमाबन्दी पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन उक्त विवादित भूमि पेतृक साबित होती है अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 19:08:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 70/2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. जेठाराम पुत्र जुंजाराम
जाति–जाट, निवासी–रूगाणियों का
तला, भीमडा, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

1. जुंजाराम पुत्र आसाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र जुंजाराम
3. अचलाराम पुत्र अजाराम
4. मूलाराम पुत्र अजाराम
5. सोनाराम पुत्र अजाराम जाति जाट
निवासी रूगाणियों का तला, भीमडा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादी

–: निर्णय :– दिनांक : 26/08/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा रूगाणियों का तला पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 400, 409, 410 रकबा 7.6531, 0.0405, 12.4262 हैक्टेयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही पूर्वज आसाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी, प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ 1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। बावजूद सूचना ... उपस्थित नहीं रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 19:08:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया ...ा वादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी आसाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा रूगाणियों का तला पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 400, 409, 410 रकबा 7.6531, 0.0405, 12.4262 हैक्टेयर में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/6 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (SDO)
(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 26/08/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 19:08:28 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. जेठाराम पुत्र जुंजाराम
जाति–जाट, निवासी–रूगाणियों का
तला, भीमडा, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

1. जुंजाराम पुत्र आसाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र जुंजाराम
3. अचलाराम पुत्र अजाराम
4. मूलाराम पुत्र अजाराम
5. सोनाराम पुत्र अजाराम जाति जाट
निवासी रूगाणियों का तला, भीमडा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–70 / 2020. **निर्णय दिनांक :–**

वादी की ओर से वकील श्री रिणछारा सियाग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/08/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रूगाणियों का तला पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 400, 409, 410 रकबा 7.6531, 0.0405, 12.4262 हैक्टेयर में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/6 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 19:08:28 IST
Reason: SelfAttested